भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के पास नैशनल हाइवे-27 पर वाहन की टक्कर से एक पैंथर की मौत हो गई। पैंथर सुबह 6 बजे के करीब सड़क पार कर रहा था तभी एक वाहन की चपेट में आ गया। गौरतलब है कि, बीते कुछ समय में इसी तरह एक्सिडेंट के कारण तीन पैंथर व 2 भालुओं की मौत हो चुकी है।

भाजपा पांच कांग्रेसी व एक निर्दलीय विधायक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाई

इसके एक दिन पहले निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने उप नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव रखा था

- **भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि, कांग्रेस के इन छह विधायकों ने अन्य विधायकों पर बनाया था इस्तीफा देने का दबाव, इस बात को विधानसभा ने भी माना है कि, कांग्रेस के विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफे नहीं दिए थे।**
- **जिन विधायकों के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है, वे हैं - मंत्री शांति धारीवाल, रामलाल जाट, मुख्य सचेतक महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेन्द्र चौधरी, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा व कांग्रेस विधायक रफीक खान।**
- **उप नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, विधायक रामलाल शर्मा, अभिनेष महर्षि, जोगेश्वर गर्ग, अशोक लाहोटी व अनिता भदेल ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है।**

जयपुर, 2 फरवरी (वि.सं.)। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले को हाईकोर्ट ले जाने पर जहां निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आए थे। वहीं अब भाजपा ने भी इस मामले में कांग्रेस पर पलटवार किया है।

भाजपा के छह विधायकों ने कांग्रेस के पांच विधायकों सहित एक निदर्लीय विधायक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का नोटिस विधानसभा सचिव को सौंपा है। अब यह प्रस्ताव विधानसभाध्यक्ष के विचाराधीन है।

आज उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा विधायक रामलाल शर्मा, अभिनेश महर्षि, अशोक लाहोटी, जोगेश्वर गर्ग और अनिता भदेल ने कांग्रेस के निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी, रामलाल जाट, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और कांग्रेस विधायक रफीक खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया।

भाजपा विधायक रामलाल शर्मा और अशोक लाहोटी ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के छह विधायकों पर आरोप लगाया कि इन विधायकों ने अन्य विधायकों पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया था और ये हीं विधायक कांग्रेस के अन्य विधायकों के इस्तीफे लेकर विधानसभा स्पीकर डॉ. सी.पी. जोशी के आवास पहुंचे थे।

भाजपा विधायकों का कहना है कि हाईकोर्ट को दिए जवाब में भी विधानसभा ने माना है कि कांग्रेस विधायकों ने अपने इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं दिए थे, इसलिए उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए थे। सवाल यह है कि जब कांग्रेस विधायकों ने अपने इस्तीफे अपनी इच्छा से नहीं दिए थे तो फिर उन पर दबाव डालकर किसने इस्तीफा दिलवाया था।

भाजपा विधायकों की ओर से लाए गए विशेषाधिकार प्रस्ताव को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा विधायकों के आरोपों में कोई दम नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधानसभा स्पीकर डॉ. सी.पी. जोशी की ओर से विधायकों के इस्तीफे अस्वीकार की जाने के बाद यह मुद्दा ही खत्म हो गया है।

उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा गिराने का काम तो राजेंद्र राठौड़ ने किया था, वह इस मामले को हाईकोर्ट ले गए थे।

उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वही कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि हमने किसी भी विधायक पर इस्तीफा देने का दबाव नहीं बनाया है। विधायिका और न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र अलग-अलग है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का अधिकार सभी का है, प्रस्ताव लागू करना है या कमेटी को भेजना है, इसका फैसला तो विधानसभा स्पीकर करते हैं।

सड़क हादसे में पैंथर की दर्दनाक मौत

मांडलगढ़, 2 फरवरी (निस) भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के पास नैशनल हाइवे -27 पर गुरुवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से एक पैंथर की दर्दनाक मौत हो गई।

सूचना पर वन विभाग की टीम ने पैंथर के शव का पोस्टमार्टम करा अंतिम संस्कार कर दिया। गौरतलब हैं कि वन्यजीवों के आए दिन होते सड़क हादसों के प्रति जिम्मेदार अफसर गम्भीर नहीं हैं। बीते कुछ समय में अज्ञात वाहनों की टक्कर से यहाँ 3 पैंथर व 2 भालुओं की मौत हो गई।

हादसे में पैंथर के सिर व अन्य जगह में गम्भीर चोट आने से उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना पर वन विभाग की टीम मौक़े पर पहुँची। पैंथर के शव को मांडलगढ़ लाकर पशु चिकित्सकों से पोस्टमार्टम करा अंतिम संस्कार किया गया।

मांडलगढ़ ऊपरमाल वन सुरक्षा महासंघ अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने सड़क हादसे में काल का ग्रास बनते पैंथर,भालू एवं वन्य जीवों की घटती संख्या पर चिंता जाहिर की।

- **मैनाल के पास हाइवे-27 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत हुई।**
- **इस मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वन विभाग की लापरवाही सामने आई, जिन्होंने सड़क पर सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं किए थे।**

जोशी ने बताया कि नेशनल हाईवे 27 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अब तक 3 पैंथर, 2 भालू सहित अन्य कई दुर्लभ वन्यजीवों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों को देखें तो प्रतिवर्ष वन्यजीवों का प्राकृतिक घर जंगल क्षेत्र कम होते जा रहा है। जबकि वन्यजीवों की संख्या बढ़ती जा रही है। विकास के नाम पर जंगलों में बनाई जा रही सड़कों की वजह से भी उनके भ्रमण में बाधा पहुंच रही है। ऐसे में कई बार पानी या भोजन की तलाश में वन्यजीव सड़कों तक पहुंच जाते हैं। रात के वक्त तेज रफ्तार वाहनों के सामने आनेवाले वन्यजीव टक्कर से बच नहीं पाते हैं।

जोशी ने नेशनल हाइवे सड़क को घने जंगल के बीच निकाले जाने के दौरान सड़क पर अंडर पास ओर सड़क के दोनों ओर बेरिकेट जाली लगाने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को कई बार लिखित में माँग की, सड़क निर्माण के दौरान काटे गए विशाल हरे व्रक्ष की पूर्ति की माँग भी उठाई। वन विभाग का गश्ती दल भी इनकी सुरक्षा के लिए गम्भीर नहीं हैं। गौरतलब हैं कि वन क्षेत्र की सड़क पर कोई भी सूचना पट्ट नहीं लगे हैं, और अज्ञात वाहनों की टक्कर से पैंथर भालू की मौत के प्रकरण को वन विभाग के अधिकारी पुलिस थाने तक भी नहीं ले जाते हैं।जिससे हादसा करने वालों की शिनाख्त भी नहीं होती हैं तथा वाहन चालकों के हौंसले बढ़ते जा रहे हैं।

'इन्टरनैट अपराधों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपराधों का तरीका बदल गया है क्योंकि "आज का हथियार टैक्नॉलजी है।" अहमदाबाद में 25वीं ऑल इंडिया फॉरैन्सिक साइंस कॉन्फ्रैंस में बोलते हुये, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों तथा साइबर स्पेस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रता से "बड़ी नहीं" है। "इसलिये इससे निपटने के लिये कठोर कानून होने ही चाहिये। हमें मानव जाति के हित की खातिर, इसके दुरुपयोग से सख्ती से निबटना चाहिये।"

उन्होंने पिछले दशक में इन्टरनैट यूज़र्स की संख्या में हुई जबरदस्त वृद्धि का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "साइबर स्पेस का उपयोग सिविल तथा मानवाधिकारों के बड़ी मात्रा में उल्लंघन के लिये किया जा रहा है, जिनमें लोगों की प्राइवेशी भी शामिल है। मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए साइबर अपराधों से लड़ने में साइबर सिक्योरिटी की केन्द्रीय भूमिका है।"

पूर्व न्यायाधीश ने आगे कहा कि गृह मंत्रालय का पोर्टल दर्शाता है कि अब तक जानकारी में आईं साइबर धमकियों तथा सटीक हमलों के लिये भारत दुनिया के सबसे संवेदनशील देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि खासतौर से समाज के वंचित एवं उपेक्षित वर्ग पहचान की चोरी, फ्रॉड तथा फिरौती जैसे साइबर अपराधों का निशाना बनते हैं।

उन्होंने कहा, "बहुत से देशों ने अपराधों के नये तरीकों के आगमन के साथ ही साइबर अपराधों से निबटने के लिये कानूनों में खास प्रकार का संशोधन तथा बदलाव किया है। इस समय और अधिक कम्पयूराइज्ड फॉरैंसिक साइंस लैबोरेट्रीज, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उत्कृष्ट केन्द्र, साइबर सुरक्षा शिक्षा, जाँच अधिकारियों, वकीलों तथा जजों की ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है।"

मण्डल-II का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से नेपाल की राजधानी काठमांडू के बीच एक रेल लिंक्स स्थापित करने की भी भारत सरकार की योजना है। इन गतिविधियों का सार ये हैं: लगता है कि भाजपा यह उम्मीद पाले बैठी है कि हिन्दुत्व का एजेण्डा वर्ष 2024 के चुनावी संघर्ष में पार्टी को आर.जे.डी., जे.डी.यू. या सपा जैसी क्षेत्रीय पार्टियों की जातिगत अपील पर एक बार फिर भारी पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में मण्डल-2 बहस को छेड़ने की योजनाओं पर काम करने के साथ ही जातिगत जनगणना की कवायद पहले ही शुरू कर दी है।

पूर्व विधानसभाध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस आलाकमान से इस्तीफों की राजनीति पर जांच की मांग की

- **कांग्रेस विधायक दीपेन्द्र सिंह शेखावत बोले, "मैं नहीं जानता कि विधायकों पर इस्तीफे देने का किसका दबाव था, लेकिन कोर्ट में एफिडेविट दिया गया है, तो फिर यह जांच का विषय है।"**
- **उन्होंने कहा, "सदस्य विधानसभा में चुनकर आता है तो दबाव में नहीं, विवेक से काम करता है, नियमों में प्रावधान है कि अगर दबाव, प्रलोभन हो तो, यह कानून का उल्लंघन है।"**

जयपुर, 2 फरवरी (का.प्र.)। विधानसभा और हाईकोर्ट में भाजपा ने कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को मुद्दा बनाया है। लेकिन कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने इस्तीफे की राजनीति पर आलाकमान से भी जांच की मांग की है।

मीडिया से बात करते हुए दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि "मैं नहीं जानता कि विधायकों पर इस्तीफे देने का किसका दबाव था, लेकिन अगर कोर्ट में एफिडेविट दिया गया है, तो फिर यह जांच का विषय है। कांग्रेस आलाकमान को इसकी जांच करनी चाहिए। शेखावत ने कहा कि एक भाजपा के सदस्य ने भी इसमें इस्तीफा दिया था और भाजपा इसमें राजनीतिक षड्यंत्र चाहती है। शेखावत ने दावा किया कि इस्तीफे स्वीकार किए जाते तो सरकार गिर सकती थी।

सिंह ने कहा कि अब इस प्रकरण से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यह मामला अब सैटल हो गया है, लेकिन अगर इस्तीफे स्वीकार हो जाते तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिर जाती।

शेखावत ने कहा कि जो सदस्य विधानसभा में चुनकर आता है वो किसी दबाव में नहीं आता है वह अपने विवेक से काम करता है। नियमों में यहां तक प्रावधान है कि अगर दबाव, प्रलोभन हो, तो कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हम लोगों पर कोई दबाव नहीं था और हम तो विधायक दल की बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री के आवास पर गए थे।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शेखावत ने कहा कि इस्तीफे स्वेच्छा से हुए हों या दबाव में लेकिन जो भी घटनाक्रम 25 सितंबर को हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था. ऐसी परंपरा कांग्रेस में नहीं रही है। उस घटना से कांग्रेस में सभी लोगों को तकलीफ हुई है और हाईकमान इसका संज्ञान लेकर जांच करने की बात भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं भी राजनीति में 50 साल से सक्रिय हूं लेकिन इस तरह की कोई घटना कांग्रेस में मैंने नहीं देखी। शेखावत ने कहा कि अब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुट है और चुनाव के समय हम साथ रहेंगे। वैसे भी विवाद सभी पार्टियों में होता है। अब सब एक होकर चुनाव लडेंगे। सभी का प्रयास होगा कि सरकार वापस लेकर आएं।

उल्लेखनीय है कि 25 सितंबर 2022 को राजस्थान कांग्रेस में बहुत बड़ा हंगामा और इस्तीफों का नाटक हुआ था। जब पर्यवेक्षक की मौजूदगी में बगावत के बीच विधायक दल से अलग एक समानांतर बैठक संसदीय कार्य मंत्री के घर आयोजित की गई थी और उसके बाद इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष को दिए गए थे। इसके बाद से राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था, जिसे देखते हुए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लिखित में आदेश जारी करते हुए बयानबाजी पर तत्काल रोक लगाने की बात कही थी।

अब तक डावोस में अडानी व अन्य उद्योगपतियों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ध्यान में रखते हुए ऑफर वापस लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि निवेशकों का हित उनके कारोबार की मुख्य प्राथमिकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि गौतम अडानी का रिकॉर्डेड मैसेज अडानी ग्रुप कम्पनियों में विश्वास बहाल करने में नाकामयाब हुआ है और कम्पनियों की मार्केट वैल्यू लगातार गिर रही है। अडानी के सपनों के रातों-रात चूर होने के सिर्फ अडानी ग्रुप का अस्तित्व बनाए रखने की तुलना में भारत के लिए भी ज्यादा बड़े मायने हैं।

गौतम अडानी भारत के कॉरपोरेट सैक्टर में एक सनसनी बनकर उभरे थे और लगा कि उन्होंने दर्शा दिया है कि एक सही रणनीति और कॉरपोरेट अप्रोच के साथ भारत में ऊंचाईयों के शिखर पर पहुंचना किस तरह से संभव है।

गौतम अडानी की कम्पनियों ने ऊंची उड़ान भरी थी और उन्हें एशिया का सबसे अमीर आदमी माना गया था।

अडानी साम्राज्य के बुरे दिन इक्विटी रिसर्च फर्म हिन्डनबर्ग की एक रिपोर्ट से शुरू हुए, जिसमें कहा गया था कि अडानी ग्रुप की कम्पनियों ने स्वयं का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जरूरत से अधिक धन उधार ले रखा है। इस रिपोर्ट पर आई बाजार की प्रतिक्रिया में अडानी ग्रुप की कम्पनियों की मार्केट वैल्यू में 50 बिलियन डॉलर समाप्त हो गए। वह एशिया के सबसे अमीर आदमी की दुर्लभ पोजीशन से एक ऐसे आदमी बन गए जिसका साम्राज्य ढह रहा है।

यह भी कोई विलक्षण बात नहीं है इससे पहले भी कई प्रसिद्ध कंपनियां जमीन पर आ चुकी हैं। फिर भी, अडानी भारत के पुनरुत्थान के एक प्रतीक बन गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था अडानी जैसों की कंपनियों और कंपनी समूहों के बल पर फल-फूल रही थी और महत्वपूर्ण देशों में हमारी आर्थिक वृद्धि दर सर्वाधिक तीव्र थी, लेकिन अडानी की सम्पदा में आई अचानक कमी से स छवि को नुकसान पहुंचा है।

दो सप्ताह पहले ही स्विट्जरलैण्ड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट में भारत ने खूब सुर्खिया बटोरी। इसमें भारत के मंत्रियों से लेकर कॉरपोरेट लीडर्स तथा कॉरपोरेट जगत के सम्मानसूचक चिन्ह प्रमुख विज्ञापन बोर्डों पर लगाए गए थे। अब यह स्थिति थोड़ी फीकी दिखाई पड़ती है। अडानी एक अन्य कारण से भी महत्वपूर्ण हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और साथी गुजरातियों का करीबी माना जाता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि गौतम अडानी के रोमांचक उदय का कारण प्रधानमंत्री से उनकी निकटता है और भारतीय वित्तीय संस्थानों ने निवेश के माध्यम से उनकी सहायता की है। प्रकट रूप में, भारतीय चैनल्स ने विदेशों में विशाल और आकर्षक प्रोजैक्ट्स खरीदने को लेकर अडानी के लिए एक-दो अच्छी बातें भी कहीं। उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व ही ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी कोयला खदान खरीदी थी। इन अधिग्रहणों ने अडानी की नैट वर्थ में इजाफा किया था। ये अधिकांश प्रोजैक्ट्स उधार के धन से खरीदे गए थे। दीर्घकालीन प्रोजैक्ट्स में देनदारियों और संभावित आय के बीच अक्सर असमानता रह सकती है। लगता है कि अडानी अनिश्चय की ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, जिसमें उनकी देनदारियां उनके पास मौजूद नकदी से अधिक हैं। जो भी कुछ किया जा चुका है, अब उसे भुगतने का समय आ चुका है। गौतम अडानी के लिए अब आगे समस्याओं का अंबार है, और देखना ये है कि वह इस विकट स्थिति से कैसे पार पाते हैं।

'जनता का हित ध्यान में रखते हुए...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आधारहीन तथा अविश्वसनीय आरोपों का दुर्भावनापूर्ण संग्रह बताया, जिनका परीक्षण भारत के शीर्ष न्यायालय कर चुके हैं तथा खारिज भी कर चुके हैं।"

रविवार को, फर्म ने 413 पृष्ठ का एक बयान जारी किया जिसमें उसने हिन्डनबर्ग के सभी दावों का खण्डन किया था तथा इसे "भारत की ग्रोथ की कहानी तथा महत्वाकांक्षा" पर हमला बताया था। अडानी ग्रुप के इस बयान की प्रतिक्रिया में हिन्डनबर्ग ने कहा कि अडानी का बयान उसकी रिपोर्ट में उठाये गये अधिकांश प्रश्नों के उत्तर देने में असफल रहा है। गुरुवार को अडानी ग्रुप ने "फॉलोऑन पब्लिक ऑफर (एफ.पी.ओ.) में शेयरों की नई बिक्री को निरस्त कर दिया। इस कदम के घंटों बाद, ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी ने निवेशकों के लिये एक वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें जोर देकर कहा गया कि उसके ग्रुप के आधार "मजबूत" हैं तथा कर्ज चुकाने का उसका रिकॉर्ड "बेदाग" हैं। इस बीच, कांग्रेस ने हिन्डनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर मोदी सरकार की उदासीन खामोशी पर आश्चर्य व्यक्त किया है। ज्ञातव्य है कि इसी रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप का संकट शुरु हुआ था, जिसके चलते ट्रेडिंग सैशन के अंतिम चार दिनों में उसके शेयरों की कीमतें धड़ाम से गिर गईं। कांग्रेस ने माँग की कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाये या फिर संसद की कोई ज्वाइंट पॉलियामैन्ट्री कमेटी (जे.पी. सी.) से इसकी जाँच कराई जाये। कांग्रेस प्रवक्ता तथा ए.आई.सी.सी. कम्पयूनिकेशन विभाग प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि अमेरिका के "हिन्डनबर्ग रिसर्च" की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर भारत की अब तक के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ठगी" का आरोप लगाया है तथा दावा किया है कि इसके शेयरों की कीमत 42 प्रतिशत आँकी गई।

खेड़ा ने रिसर्च रिपोर्ट के एक सनसनीखेज खुलासे की तरफ ध्यान आकर्षित किया, जिसका संबंध अडानी ग्रुप तथा चांग-चुंग-लिंग के बीच के संबंधों से है। ज्ञातव्य है कि चांग-चुंग-लिंग एक ऐसे चीनी व्यवसायी हैं जिसके व्यावसायिक अतीत पर प्रश्नचिन्ह लगे हुये है। खेड़ा ने कहा कि इस संबंध पर भारतीय मीडिया ने गौर ही नहीं किया है। उन्होंने कहा कि रिसर्च ग्रुप ने साफ कहा है कि चांग-चुंग-लिंग गुडामी इन्टरनैशनल नामक एक फर्म चलाते हैं या चलाया करते थे तथा जवाहरात की अडानी की कथित सर्कुलर ट्रेडिंग में सरकारी फ्रॉड में जाँच के एक हिस्से के रूप में इसकी पहचान हुई थी।"

रिपोर्ट ने इस बात को रेखांकित करते हुये कहा कि "यह केवल शेयर धारकों के लिये ही नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये भी एक महत्वपूर्ण मामला है।"

'संगठित गिरोह क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी बनाकर लोगों को ठग रहे हैं'

विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के दौरान सीकर जिले की नैक्सा एवरग्रीन कम्पनी का मुद्दा उठाया उप नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने

- **उन्होंने बताया कि, सीकर, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का गृह जिला है, की कम्पनी नैक्सा एवरग्रीन 20,000 से ज्यादा लोगों का 780 करोड़ रू. लेकर फरार हो गई।**
- **राठौड़ ने इसमें कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की मिली भगत का आरोप लगाया और कहा कि, कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है, कम्पनी की सम्पत्ति जब्त नहीं हुई है।**
- **उन्होंने बताया कि, कम्पनी का कर्ता-धर्ता सुभाष विजानिया है, जो पहले फर्जी डिग्री का व्यापार करता था।**

जयपुर, 2 फरवरी (का.सं.)। उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में संगठित गिरोह क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी व अन्य कम्पनियां बनाकर भोले वाले किसानों व मध्यम वर्ग के लोगों को आकर्षक प्रतिफल देकर उन्हें ठगने का काम कर रहा है और उनकी गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहा है। राठौड़ ने कहा कि इस जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में सीकर जिले में स्थित एक कम्पनी "नैक्सा एवरग्रीन कम्पनी" 20 हजार से अधिक लोगों के करीब 780 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई। कम्पनी रजिस्टर्ड ऑफिस पिपलानी सीकर में था।

इस मामले में कम्पनी के खिलाफ जोबनेर थाने में एफआईआर दर्ज हुई पर दुर्भाग्य यह है कि सीकर जिले से ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी भी आते हैं पर उस जिले में ऐसी कम्पनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक ना ही कम्पनी की संपत्ति जब्त की गई, ना ही लग्जरी गाड़ियां और ना ही उनके अकाउंट जब्त हुए हैं।

राठौड़ ने कहा कि इस सबके कर्ता-धर्ता सुभाष विजानिया हैं। सुभाष विजानिया वही व्यक्ति हैं, जो पहले फर्जी डिग्री के व्यापार में लगे हुए थे। अब इन्होंने अपना व्यापार बदल लिया है और सुभाष विजानिया और विकास कुमार बीरबल पनलावा गांव के रहने वाले हैं। यह सभी मिलकर हर मंगलवार को एक ड्रा खोलते थे। इस ड्रा में जो निवेशक हैं उन्हें हर सप्ताह 1353 रुपए लौटाया करते थे और इसी लालच के जाल के जरिए वह लोगों को अपना शिकार बनाते थे।

राठौड़ ने कहा कि इन सभी ने मिलकर एक फर्जी वीडियो बनाया। इस वीडियों में यह कहा गया कि यह कम्पनी एयरपोर्ट निर्माण से जुड़ी हुई है और गुजरात में एयरपोर्ट बना रही है। इसी बहाने से कम्पनी ने 20 हजार से अधिक लोगों को अपने जाल में फंसाया।

राठौड़ ने कहा कि कम्पनी ने सारी शेखावाटी को लूटा है। राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बैनिंग रेगुलेटरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 फरवरी माह 2019 से लागू हैं। कई राज्यों ने भी इसे लागू कर दिया है जबकि राजस्थान में अभी तक इससे क्यों लागू नहीं किया गया है।

अगर प्रदेश में यह एक्ट लागू हो जाए, तो ऐसी कम्पनियों पर अंकुश लग जाएगा। राठौड़ ने कहा कि कम्पनी ने एक लग्जरी होटल में काप्रेंस आयोजित की थी। इसमें कौन कौन से नेता गए थे उसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही इस पूरे मामले में माननीय लक्ष्मणगढ़ के विधायक और उनके गांव नाम आ रहा है। इस मामले को सरकार संज्ञान में ले और एसओजी से इसकी जांच कराएं एवं दोषियों की संपत्ति को जप्त करें।

हाई कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खंडपीठ ने यह आदेश प्रदीप मलिक सहित अन्य की याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अलंकृता शर्मा और गिर्राज शर्मा ने बताया कि प्रश्न पत्र लंबे थे और उनमें मार्किंग बहुत सख्त की गई थी। एडीजे भर्ती की कॉपियों को एडीजे स्तर के अधिकारियों ने ही चैक किया। जबकि ये कॉपियां किसी विशेषज्ञ प्रोफेसर या पूर्व हाईकोर्ट जज से चैक कराई जानी चाहिए थीं। उन्होंने कहा, परीक्षा की जांच के लिए तीन जजों की कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। इसके अलावा पदों के मुकाबले चार गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था, वकील कोटे के खाली पदों पर ग्रेस अंक देकर नियुक्ति दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने परीक्षा रजिस्ट्रार से रिकॉर्ड तलब किया है। दरअसल इस मामले में प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908